

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0का0/व्यक्ति. अनु./ (सी-264)/09/

दिनांक:-

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
राजस्थान।

विषय :- व्यक्तिगत अनुबंध हेतु 500/-रूपये के स्टाम्प उपयोग बाबत।  
संदर्भ :- निदेशालय का पत्रांक ई-20/म.स्वा.का./व्यक्ति.अनु./ (सी-264)/  
09/1410 दिनांक 17.11.09

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय के संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि एन. आर.एच.एम. से प्राप्त जानकारी के अनुसार उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), पाली वृत्त द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर के कार्यालय में निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देश अनुसार दिनांक 09.03.07 के बाद रूपये दस लाख तक के अनुबंध पर राजस्थान स्टाम्प एक्ट की धारा-3 के शेड्यूल 58 के अनुसार रूपये 500/- की स्टाम्प ड्यूटी देय होती है।


अतः ए. एन. एम. से अनुबंध रूपये 500/- के स्टाम्प पेपर पर करवाया जावें।

२०  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0का0/व्यक्ति. अनु./ (सी-264)/09/1456 दिनांक:- 24/11/09  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान को निदेशालय के पत्रांक ई-20/म.स्वा.का./व्यक्ति.अनु./ (सी-264)/09/1411 दिनांक 17.11.09 के संदर्भ में।

✓ 2. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय वेबसाइट पर डालने का श्रम करें।

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर